भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 711
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

711. श्री खलीलुर रहमान:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में सरकार द्वारा पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही आयुष योजनाओं/कार्यक्रमों का विभाग-वार तथा पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित धनराशि/वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा दें; और

(ग) इन केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों के साथ ही इन योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राप्त हुई सफलता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय पश्चिम बंगाल सहित देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है और राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त हुए उनके प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास और संवर्धन के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। इस मिशन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान हैं:-

i. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का संचालन
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं
v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी औषधियों की आपूर्ति
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम
viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है
ix. आयुष स्नातकपूर्व संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना

आयुष मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 से आयुर्ज्ञान योजना और आयुर्स्वास्थ्य योजना नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं भी चला रहा है। उक्त योजनाओं के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां आवंटित/स्वीकृत/जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है और वित्तीय सहायता पश्चिम बंगाल राज्य सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित पात्र व्यक्तिगत संगठनों/संस्थानों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की योग्यता के आधार पर सीधे प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, उपर्युक्त के परिवर्धन में, आयुष मंत्रालय ने दिनांक 16.03.2021 को पांच वर्षों के लिए 122.00 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय आवंटन के साथ आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को कार्यान्वित किया है। एओजीयूएसवाई योजना के घटक निम्नानुसार हैं-

क. उच्च मानक प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।

ख. एएसयू एंड एच दवाओं की भेषजसतर्कता और भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी।

ग. आयुष औषधियों के लिए तकनीकी मानव संसाधन और क्षमता वर्धन कार्यक्रमों सहित केन्द्रीय और राज्य विनियामक ढांचों का सुदृढ़ीकरण।

घ. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) और अन्य संगत वैज्ञानिक संस्थानों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों और सामग्रियों के मानकों के विकास और मान्यकरण/प्रमाणन के लिए सहायता।

(ख): एनएएम के अंतर्गत, एसएएपी के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित/स्वीकृत निधियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विस्तृत स्थिति **संलग्नक-I** पर दी गई है।

(ग): चूंकि एनएएम योजना का क्रियान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा, एनएएम के तहत समर्थित प्रमुख गतिविधियां/प्राप्त उपलब्धियां **संलग्नक-II** पर दी गई हैं।

*****

संलग्नक-I

पिछले पांच वर्षों के दौरान एनएएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार आवंटित/स्वीकृत निधियों की स्थिति

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	365.42	251.81	296.06	142.39	407.29	1462.96
2	आंध्र प्रदेश	1900.59	385.40	0.00	0.00	0.00	2286.00
3	अरुणाचल प्रदेश	383.33	678.09	180.85	402.04	1186.04	2830.35
4	असम	1601.32	347.15	639.52	1011.77	3471.45	7071.21
5	बिहार	2661.30	516.54	1686.08	0.00	1161.06	6024.97
6	चंडीगढ़	0.00	195.81	94.86	189.73	226.32	706.73
7	छत्तीसगढ़	0.00	2691.07	841.31	0.00	2151.43	5683.80
8	दादरा और नागर हवेली व दमण और दीव	63.85	0.00	0.00	0.00	408.45	0.00
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	118.65	65.99	218.99	142.29	628.30	1174.22
11	गुजरात	2229.69	244.01	466.93	1908.62	2961.42	7810.67
12	हरियाणा	2299.48	3034.42	647.70	1219.91	3026.59	10228.09
13	हिमाचल प्रदेश	2045.89	494.94	1261.80	3873.58	3659.22	11335.43

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
14	जम्मू-कश्मीर	1848.54	2285.75	1313.11	4895.09	7510.36	17852.84
15	झारखंड	1522.31	0.00	1309.77	7752.57	2390.42	12975.07
16	कर्नाटक	1791.71	2184.37	1821.46	1714.09	5031.54	12543.17
17	केरल	1540.54	2337.59	1153.39	4399.83	7989.40	17420.74
18	लद्दाख	0.00	0.00	187.45	72.27	47.32	307.04
19	लक्षद्वीप	426.88	19.61	64.26	116.32	332.01	959.08
20	मध्य प्रदेश	4012.35	5608.63	3123.20	1716.00	6120.00	20580.18
21	महाराष्ट्र	4308.64	0.00	0.00	0.00	2235.54	6544.18
22	मणिपुर	907.08	571.72	170.04	1723.00	0.00	3371.84
23	मिजोरम	199.51	657.73	259.08	117.27	1057.86	2291.45
24	मेघालय	348.21	247.97	609.78	796.84	1722.60	3725.40
25	नागालैंड	950.58	1254.89	232.27	495.78	1016.97	3950.49
26	ओडिशा	726.10	716.64	1075.38	0.00	0.00	2518.12
27	पुडुचेरी	238.42	47.67	200.27	623.95	197.08	1307.39
28	पंजाब	1155.49	89.77	527.28	0.00	109.85	1882.39
29	राजस्थान	1987.60	2276.40	3189.00	0.00	3731.51	11184.51
30	सिक्किम	330.59	350.44	99.30	626.06	492.37	1898.76
31	तमिलनाडु	1993.91	616.58	2348.27	2428.69	6635.76	14023.21
32	तेलंगाना	934.18	0.00	3132.25	0.00	1225.17	5291.60
33	त्रिपुरा	0.00	270.08	138.71	1030.90	566.99	2006.68
34	उत्तर प्रदेश	7923.69	10373.86	13809.72	14437.60	12418.60	58963.46
35	उत्तराखंड	825.34	656.46	2622.50	1855.80	3234.38	9194.47
36	पश्चिमी बंगाल	1849.74	247.35	2118.05	1056.58	3379.39	8651.10
	कुल	**49490.92**	**39718.72**	**45838.63**	**54748.94**	**86732.67**	**276529.87**

संलग्नक -II

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक एनएएम के अंतर्गत समर्थित प्रमुख गतिविधियाँ/उपलब्धियाँ

I. एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए **167** इकाइयों को सहायता दी गई।

II. बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए **416** आयुष अस्पतालों और **5036** आयुष औषधालयों को सहायता दी गई।

III. औसतन प्रत्येक वर्ष दवाओं और आकस्मिक सहायता की आवर्ती सहायता के लिए सह-स्थान के तहत **2322** पीएचसी, **715** सीएचसी और **314** डीएच को सहायता दी गई।

IV. औसतन प्रत्येक वर्ष आवश्यक आयुष दवाओं की आपूर्ति के लिए **996** आयुष अस्पतालों और **12405** आयुष औषधालयों को सहायता दी गई।

V. नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए **16** इकाइयों को सहायता दी गई।

VI. बुनियादी ढांचे, पुस्तकालय और अन्य चीजों के उन्नयन के लिए **76** स्नातक और **36** स्नातकोत्तर आयुष शैक्षणिक संस्थानों को सहायता दी गई।

VII. **3883** योग कल्याण केंद्रों को सहायता दी गई।

VIII. **1055** आयुष ग्रामों को सहायता दी गई।

IX. **12500** आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों को सहायता दी गई।